13/11/25 पत्रावली पेश हुयी उभय पक्ष उप०। प्रा० पत्र से संबंधित मूल वाद सं. 146/15 प्रा० पत्र 07 R11 जा०दी स्वीकार किये जाने पर खारिज किया जा चुका है। अतः प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में जारी आदेश दिनांक 2/7/15 को जारी रखे जाने का कोई औचित्य शेष नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज र० से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक